

A horizontal bar chart and a number line. The bar chart has four bars with heights 8, 9, 3, and 1. The number line is marked from 0 to 10.

खसरे का खतरा

खसरे का संक्रमण एक बार फिर अपने पांव तेजी से पसार रहा है। यह किसी एक देश की बात नहीं, बल्कि दुनिया भर में खसरे के मामले बढ़ रहे हैं। इससे संबंधित एक हालिया रपट ने विश्व भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इसके मुताबिक, वर्ष 2023 में पूरी दुनिया में खसरे के एक करोड़ तीन लाख मामले सामने आए, जो 2022 की तुलना में 20 फीसद अधिक हैं। इसे अमेरिका, यूरोप, भारत और आस्ट्रेलिया सहित कई देशों के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। खसरा सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है और इसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। मगर सवाल यह है कि जब दुनिया भर में इस संक्रमण का टीका वर्षों से उपलब्ध है, तो इसकी चाल फिर तेज क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक स्तर पर खसरे से निपटने के उपायों में हिलारों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

गौर करने वाली बात है कि खसरे से बचने के लिए तैयार किया गया टीका वर्ष 1963 से ही दुनिया भर में उपलब्ध है और इसके प्रभावशाली नतीजे भी सामने आए हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों में इसके संक्रमण के मामले बढ़ना भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के लिए एक चिंतामय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी की स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) की रपट के अनुसार, भारत उन 57 देशों में से एक है, जहां वर्ष 2023 में खसरे के मामले बढ़े हैं। चीकाने वाली बात यह है कि वैश्विक स्तर पर इस संक्रमण के फैलने की घटनाएं 20 फीसद बढ़ी हैं। अमेरिका में तो वर्ष 2000 में खसरे के उन्मूलन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन पच्चीस साल बाद वहां की स्वास्थ्य संस्था सीडीसी ने इस साल जनवरी से मई तक देश में खसरे के 900 मामले सामने आने की पुष्टि की है। आस्ट्रेलिया में इस साल के शुरुआती पांच महीनों में खसरे के 77 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2024 में यहाँ कुल 57 मामले सामने आए थे। यूरोप में पिछले 25 वर्षों की तुलना में खसरे के सबसे अधिक मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए।

मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया भर में खसरे के टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करने का वक़्त आ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट में कहा गया है कि कोरोना महामारी भी खसरे का संक्रमण बढ़ने की एक वजह बनी है। उस दौरान लोगों का ध्यान खसरे के टीके लवाक कर इससे बचने पर था। इससे खसरे का टीकाकरण प्रभावित हुआ। मगर, यह भी सच है कि कोरोना काल के बाद सरकारी स्तर पर खसरे के संक्रमण को रोकने की लेकर जो सख्तीयता दिखाई जानी चाहिए थी, उसका अभाव रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, खसरे से संक्रमित व्यक्ति कई लोगों में संक्रमण फैला सकता है। लिहाजा दुनिया के लिए यह सावधान होने की घड़ी है। व्यापक स्तर पर टीकाकरण के बिना इस बीमारी से सुरक्षा पाना मुश्किल है। इस रपट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सलाह दी है कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को टीके की दो-खुराक अवश्य मिले।

लापरवाही की लपटें

दिल्ली अनियोजित विकास की एक ऐसी तस्वीर है, जहां हमें एक तरफ झुगियां दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर गगनचुंबी इमारतें। नतीजा यह कि यहां सघन बस्तियों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने से बड़े नुकसान का जोखिम हमेशा बना रहता है। भीषण गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। यहां आधुनिक कड़ी जानी वाली कई मॉडलों वाली रिहायशी इमारतें बनाने की इजाजत तो दी गई, लेकिन वहां अग्नि सुरक्षा इंतजामों में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, उसका खमियाजा अब उभरते रहने वाले नागरिकों को भुगताना पड़ता है। इन इमारतों में आग बुझाने के उपकरण जरूर लगाए गए, पर इसकी जांच-परख महीनों तक नहीं होती। झारका में मंगलवार को जिस बहुमंजिला इमारत में आग लगी, वहां अग्नि शमन के पुख्ता उपाय किए गए होते, तो एक पिता और उसकी बेटी तथा भतीजे की मौत न होती। दरअसल, आग की इस घटना के वक्त लपटों से बचने के लिए इन तीनों की गंवा कोई विश्वास नहीं सुझा तो वे बाकान्नी से नीचे कूब गए और उनकी जान चली गई।

इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? यह निराशाजनक है कि इमारतों में अग्निशमन के सामान्य उपकरणों की ही पर्याप्त जांच कर अधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र दे देते हैं। झारका की जिस इमारत में आग लगी, उसकी नीचे की मंजिलों पर लोग खिड़कियां तोड़ते और बालकनी से बचाने की गुहार लगाते देखे गए। इससे साबित होता है कि इमारत की सभी मंजिलों पर आग से बचाव के लिए कारगर उपाय नहीं किए गए थे। यह जानते हुए भी कि न केवल रिहायशी, बल्कि औद्योगिक इलाकों में हर वर्ष आग लगने की घटनाएं होती हैं, तो रोकथाम के उपाय पहले ही क्यों नहीं किए जाते? समय-समय पर जांच क्यों नहीं होती कि उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं? बार-बार ऐसे हादसे न हों, इसके लिए अब जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

बाल श्रम के जाल में उलझा बचपन

बाल श्रम के खिलाफ उठने वाली आवाज यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी विकास के इस दौर में करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने पर विवश क्यों हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्वभर में बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।

रिपुदमन सिंह

बाल श्रम एक ऐसी गंभीर समस्या है, जो बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा और सुनहरा भविष्य छीन लेती है। यही नहीं, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास भी बाधित होता है। जबकि, हमें एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जहां काम नहीं, किताने बच्चों का अधिकार हो। बाल श्रम के विरुद्ध आज भी दुनिया भर में आवाज उठती है। विश्व में इस पिता में चल रहे सतत संघर्ष का ठोस परिणाम कम ही दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों को सुरुद्ध करने का आह्वान करता है। बाल श्रम के खिलाफ उठने वाली आवाज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी विकास और वैश्वीकरण के इस युग में करोड़ों बच्चे आज भी श्रम करने के लिए विश्वभर में हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, आज भी 16 करोड़ से अधिक बच्चे विश्व भर में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहा है। यह स्थिति विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे इस अंधकार को उजागर करती है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं।

बाल श्रम एक ऐसा कार्य है, जो बच्चों से उनका बचपन बेहद ही निर्ममता से छीन लेता है। कई बार काम के दौरान उन पर जोर-जुल्म होता है। नतीजा यह कि इन सव हालतों के बीच उनका शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास बुरी तरह बाधित होता है। उनके भविष्य की सभी संभावनाएं क्षीण होने लगती हैं। दरअसल, बाल श्रम बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है। कई मामलों में पाया गया कि जो बच्चे पढ़-लिख कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं, उन्हें बाल श्रम का जाल अंधकारमय भविष्य की ओर ले जाता है। इस समस्या की जड़ में गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असमानता, परिवार में बेरोजगारी और बाल श्रम कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन है। जब एक परिवार की रोजी-रोटी की सुनिश्चाई जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तब उनके सामने सबसे आसान विकल्प बच्चों को काम पर भेजना बन जाता है। यही कारण है कि खेलें, कानूनों, ईट-पट्टों, परेल्स कामकाज और निर्माण स्थलों पर कई मासूम बच्चे काम करते नजर आते हैं। हैरत की बात है कि स्थानीय प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अक्सर लापरवाही में मुड़े रहता है।

कोरोना महामारी के बाद यह संकेत और भी गहराया है। स्कूल बंद होने से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। दूसरी ओर, बेरोजगार हुए परिवारों में बच्चों की पड़ार्थ की अपेक्षा उन्हें काम पर भेज कर पैसा कमाने को अधिक उचित समझा गया। वर्ष 2000 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में 8.55 करोड़ बच्चों की कमी हुई गई थी, जो एक सकारात्मक संकेत था। मगर, कोरोना महामारी और आर्थिक असमानताओं ने इस प्रगति को पलट दिया और इसके बाद बाल श्रमिकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी

वात्सल्य के स्रोत

महेश परिमल

हमने किसी सोते हुए बच्चे को देखा होगा। उसे देखते हुए क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि यह कितना मासूम है? उसके चेहरे पर जो मासूमियत होती है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वह चेहरा हमारे सामने खड़ा होता है, बच्चे के बड़े होने तथा। हम उसी चेहरे को हमेशा याद कर लेते हैं। एक और चेहरा हमारे सामने होता है। हम कोशिश करते उसे याद कर सकते हैं। हमसे कुछ सहानुभूता प्राप्त करने वाला या कहा जाए कि हमसे उधार मांगने वाला चेहरा। इस चेहरे के भाव कुछ अलग से होते हैं, पर वह भी मासूम ही होता है। इस चेहरे पर तो तरह के भाव पाए जाते हैं। एक तो स्वाभिमान का, दूसरा गर्व का। जो हाथ पहले कभी किसी के आगे नहीं फैले होते, किसी बात की हाथ कुछ मांगने के लिए किसी के सामने फैलाने पड़ते हैं। जो हाथ खदेव देने उठते हो, बाद में वही मांगने के लिए उठते हैं। इन दोनों वालों को हम उस वक़्त देख सकते हैं, जब हमसे कोई पहली बार उधार माग रहा हो।

मासूमियत वाले दो चेहरे और होते हैं। ये चेहरे होते हैं हमारे माता-पिता के। यह बात भले ही गले से नीचे नहीं उठती रही हो, पर यह सच है कि माता-पिता के चेहरे भी मासूम होते हैं। अगर हमें अपने माता-पिता के चेहरे पर मासूमियत नजर नहीं आ रही है, तो हम अपने समग्रजीव और रीति पर गौर करने व उसमें सुधार करने की जरूरत है। अफसोस है कि हमें अपने माता-पिता कभी मासूम नहीं लगते। हालांकि, कभी कभी इस सामाजिक व्यवस्था में मिले दाने की वजह से सबीनस स्वप्न पर देखा जाता रहा है और इस नाते कई बार उनके चेहरे में मासूमियत दिखाती है, जो स्वाभाविक और सही है। लेकिन पिता को अमरतर पर इस रीति से नहीं देखा जाता। यह वह चेहरा होता है, जो सदैव खरब दिखाई देता है। लोग इसी खरब और गंभीरता वाले चेहरे से डर जाते हैं। हम उनको दीन अन्ध रूप से बर्ती उस स्वच्छ नदी के प्रभाव को नहीं देख सकते, जो सदैव बना रहता है। जो देखा पाते हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आज जीवन मूल्य तेजी से बदल रहे हैं। सामाजिक जीवन अब कुछ ऐसी जटिलताओं से गुजर रहा है कि पिता-पुत्र के बीच भी दूरियां बहुत बड़ गई हैं। आपावणी इतनी है कि पर में रहने वाले और तेजी से बड़े होते बच्चों के साथ संवाद तो जैसे गायब हो गया है। कई बार संवाद का काम आंखें ही कर लेती हैं।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com



होती चली गई। ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी झुगियां तथा प्रवासी मजदूर परिवारों में यह समस्या अब अत्यंत गंभीर बनी हुई है। यह स्थिति इस बात पर जोर देती है कि इस गंभीर सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए नवीन, समय, सामूहिक और ठोस प्रतिबद्धता की महती

कोरोना महामारी के बाद बाल श्रम का संकेत और गहराया है। स्कूल बंद होने से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। दूसरी ओर, बेरोजगार हुए परिवारों में बच्चों की पड़ार्थ की अपेक्षा उन्हें काम पर भेज कर पैसा कमाने को ज्यादा उचित समझा गया। वर्ष 2000 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में 8.55 करोड़ बच्चों की कमी हुई गई थी, जो सकारात्मक संकेत था। मगर, कोरोना और आर्थिक असमानताओं ने इस प्रगति को पलट दिया और इसके बाद बाल श्रमिकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती चली गई। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर शिर्फ बात न करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझें।

आवश्यकता है। बाल श्रम भारत के साथ-साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। अब समय आ गया है कि हम इस विषय पर शिर्फ बात

न करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझें। बाल श्रम जो बड़ से उखाड़ना हमारे लिए एक चुनौती है, जिस पर खरा उतरना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर है, इसके लिए सरकार को ही नती स्थानीय प्रशासन और परिवारों की भी आगे आना होगा। अगर समन्वित प्रयास हों, तो बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 1992 से शुरू किया गया उपक्रम बाल श्रम के क्रमिक उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय क्षमताओं को रचनाक करने और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में काम आया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का अंशर दिखना बाकी है। विशेष रूप से गालु वर्ष के अंत तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता कितनी सफल होगी, यह देखने का बाल होगी। हालांकि, ज्यादातर अधिवासी में अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली है।

भारत में बाल श्रम की समस्या बहुत आम है। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा एक माध्यम हो सकती है, जो किसी भी बच्चे को श्रम के जुकाप से बाहर निकाल सकती है। सरकार का सर्वशिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय बाल श्रमिक परिषोजना जैसे प्रयास सराहनीय हैं, पर इन्हें और व्यापक बना कर समाज के अंतिम और तक पहुंचाना, बाल श्रम को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। नौबत पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' ने अब तक हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून से एक व्यापक अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाना है। इसे राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। मगर, वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से अब तक बाल श्रमिकों का कोई भी ताजा आंकड़ा उपलब्ध न होने से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सवा आ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग की गांव स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान कर आंकड़े एकत्र करने के निदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी सुविधों के साथ मिल कर 'योजना पुरस्कार' तैयार कर रहे हैं, जिसमें उन योजनाओं का शिखर होगा, जो बाल श्रमिकों को बाल से उखराने की मदद के लिए उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मंडल स्तर पर बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रम से रोका जा सके।

बाल श्रम की इस समस्या के विरुद्ध समाज और सरकार को जनजागरण का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि यह केवल बच्चों की भलाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि संघर्ष मानवता का संवाद है। धरुवक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और गरिमापूर्ण बचपन मिलना चाहिए। आज हर बात की आवश्यकता है कि हम निष्ठा, संवेदनशील और सतत जनश्र्तीयता अपनाएं, जो ऐसे विश्व का निर्माण करें, जहां 'काम नहीं किताने' बच्चों का अधिकार हो। तभी हम बच्चों को न केवल बाल श्रम से मुक्ति दिला सकते हैं, बल्कि देश के भविष्य की नींव भी मजबूत कर सकते हैं।

लोकतंत्र का तकाजा

पश्चिम में आज भी कई देश ऐसे हैं, जिनके लोकतंत्र पर पूरी दुनिया को गर्व होता चाहिए। इन देशों में आज भी सरकारों के निर्वाचित होने के बाद नीतियों में बदलाव नहीं नीति लागू करने के वक़्त जनमत संग्रह करवाया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि जनता ने तो उन्हें एक बार माना बेरस शिफ़ चुना था, पर उसे चुन लेना का मतलब यह नहीं कि सरकार अपनी मज्जी से कुछ भी नया कानून या बकलाव लागू करे। इसके लिए पश्चिमी देशों की कुछ संस्थाएं व्यवस्था करने के पास जाकर उनका मत जानना चाहती हैं कि नया बकलाव हमें करना चाहिए या नहीं। नीले रंगवार को इटली में रायसुमारी का पहला दौर था। जिसमें लोगों को अप्रवाजन को लेकर कुछ बदलावों पर अपनी राय देनी है। आज स्थिति वही सामने दाव पर है। जनमत संग्रह में बेहतर नैकीर व सुरक्षा के लिए श्रम सुधारों की भी वापस लेने की मांग की गई है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में भी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है।

- जग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

सेहत की फिफ्र

आज के दौर में कुछ लोगों की ही सही मान्यता में सेहत की फिफ्र होती है। इसी का नतीजा है कि देश में पारंपरिक और प्राकृतिक खेती पर जोर नहीं दिया जा रहा है। लाज स्थिति यह है कि खेती में बढ़ते कीटनाशकों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। एक समय में जो भूमि किसानों के लिए उपजाऊ हुआ करती थी, आज वहां उपज कम हो रही है। रसायनिक खाद ने

संवेदनशीलता का लोप

जल चैलेंसरों बेगुमर की जल का उल्लाल उस क्षण ध्याबाहू दुश्मन बन गया, जब प्रशासन की लापरवाही कील मची भावड़ ने प्यारर विविधियां तरल हो। दरअसल, सुखा प्रबंधन के नाम पर योजनाएं केवल कागज पर ही, मार्गदर्शक केवल नाते में सीमित था और बाद में सरकारी घोषणाओं में सहानुभूता राश का हो फिफ्र था। जिन सरकारी पर जकारों गूँजे थे, वहां चीजें सुनाई दीं। जिन

जहां एक तरफ भारत आर्थिक व रैन्य ताकत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं हमारे पड़ोसी देशों की ईन्य कम नहीं हो रही। वहां वह चीन हो जा पाकिस्तान। पिछले दिनों आमेरन लिफ़र से पाक को मुंह की खानी पड़ी। मगर, पश्चिमी मीडिया का कथन कुछ और ही है। वे अलग अलग्वार हर ले थे, पेशमें बताया गया कि पाकिस्तान का अर्थर निलव गया। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद पश्चिमी मीडिया को आंकबाह नजर आ रहा था। मगर, पाकिस्तान में घुस कर 9/11 के साक्षिकताओं लादने को भारने वालो लोग ही आज उल्लेख के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जबकि वह अपने यहां आंकबाह को संरक्षण देते हैं। यह पश्चिमी मीडिया का दोहरा चरित्र है, जो भारत के प्रति ईन्या की भाव रखता है।

- सविन पांडेय, इलाहाबाद